मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]   भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2010—चैत्र 13, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. 2290-148-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अप्रैल, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक ३ अप्रैल, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— **धारा २ का संशोधन.**

''(ङ) ''जन शिक्षा प्रभारी'' से अभिप्रेत है जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाई स्कूल का प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य.'';

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,— **धारा १४ का संशोधन.**

''(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

'(१) राज्य सरकार प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रत्येक जिले में कुछ अथवा समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों या हाई स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित करेगी.'.

(दो) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में, केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए दो जन शिक्षक होंगे, और जन शिक्षक जिले में के शिक्षकों में से चुने जाएंगे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक १ सन् २०१०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. 2291-148-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 of 2010.

THE MADHYA PRADESH JAN SHIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 3rd April, 2010; assent First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary)", dated the 3rd April, 2010].

An Act to amend the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtyfirst Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause(e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) "Jan Shiksha Prabhari" means Principal or In-Charge Principal of Higher Secondary School or High School to be designated as Jan Shiksha Kendra.".

Amendment of Section 14.

3. In Section 14 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shall designate a few or all of the Higher Secondary Schools or High Schools as Jan Shiksha Kendra in every district for improving the quality of elementary and adult education.";

(ii) In sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) Each Jan Shiksha Kendra shall have two jan Shikshaks to act as coordinator between the Kendra and its schools, and the Jan Shikshaks shall be selected from amongst the teachers in the district.".

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (No. 1 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.